

पाँच प्रतष्ठित उत्पादों को GI टैग

चर्चा में क्यों?

बिहार राज्य कृषि विभाग, भागलपुर स्थित **बिहार कृषि विश्वविद्यालय (Bihar Agricultural University- BAU)** के साथ मिलकर कम-से-कम 54 अलग-अलग क्षेत्र-वशिष्ट उत्पादों के लिये **भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI)** प्रमाणन प्राप्त करने के लिये काम कर रहा है

- इस सहयोगात्मक प्रयास के तहत **पाँच प्रमुख वषियों** पर अनुसंधान पहले ही उन्नत चरणों में है।

प्रमुख बढि:

- पाँच उन्नत चरण के उत्पाद हैं- **लट्टी चोखा (बिहार का मुख्य व्यंजन), रोहतास से सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर, पटना से सघिड़ा तथा दीघा से मालदा आम।**
- सबसे अधिक भौगोलिक संकेत (GI) टैग वाले राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल हैं।
 - बिहार में **छह GI-टैग उत्पाद हैं - शाही लीची, भागलपुरी जर्दालु आम, कतरनी चावल, मारीचा चावल, मगही पान (पान का पत्ता) और मखाना (फॉक्सनट)।**
- केंद्र सरकार का वाणज्य मंत्रालय **वशिव व्यापार संगठन** के सदस्य के रूप में भारत की प्रतबिधताओं और **TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहल) समझौते** के तहत भौगोलिक संकेत (GI) टैग के लिये अभियान का समर्थन कर रहा है।

भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) टैग

- GI टैग एक नाम या चहिन है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी वशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं।
- GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति रखते हैं।
 - यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल किये जाने से भी बचाता है।
- पंजीकृत **GI 10 वर्षों के लिये वैध होता है।**
- GI पंजीकरण की देख-रेख वाणज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग द्वारा की जाती है।